फर्द अहकाम

पोल्सू लाल बनाम मंवर लाल वगै०

नाम न्यायालय जोधपुर

केस संख्या (2021) 164

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/3/23	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण 7 के अधिवक्ता एवं सरकार पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार जोधपुर से राजस्व विभाग रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है शामिल पत्रावली है। सरकार पैरोकार द्वारा न्यायालय को अवगत कराया कि वाद पत्र में अंकित खसरा नं० 421/3 के वर्तमान में अनेक खसरा नम्बरों में विभक्त हो गया है तथा पक्षकारान के नाम अलहदा-अलहदा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुके हैं। खसरा नं० 421/8 रकबा 0.8093 हैक्टे० सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के नाम दर्ज हो चुका है तथा प्रकरण में दिनांक 11/3/2019 को तनकीहात कायम की जाकर साक्ष्य वादी के लिए अवसर दिया गया। दिनांक 29/7/2019 को साक्ष्य वादी हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। दिनांक 10/1/2020 को ~~Last cost~~ पर वादी साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर देने के उपरान्त आदिनांक तक वादी साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण प्रकरण ~~खारिज~~ में साक्ष्य वादी बंद किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 11/3/2019 को प्रकरण में तनकीहात कायमी के पश्चात् अनेक बार अन्तिम अवसर व cost पर भी अवसर देने के पश्चात् वादी द्वारा वादी साक्ष्य पेश नहीं की। वाद उपस्थितिकरण की दिनांक को आराजी खसरा नं० 421/3 का रकबा 35 बीघा था जो वर्तमान में अनेक खसरा नम्बरों में विभक्त हो गया है। यह विभाजन वादी की सहमति एवं संज्ञान के अभाव में संभव नहीं है। वादी का यह दायित्व है कि वह न्यायालय को सम्पूर्ण वर्तमान/परिवर्तित परिस्थितियों से अवगत करवावे 24/3/23	नाजरत (प्रतिवादी 7)

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		वादी द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही न्यायालय के समक्ष नहीं की गई। इससे वादी का न्यायालय को मुगालते में रखते हुए निर्णय पारित कराने की दुर्भावनापूर्ण आशय स्पष्ट होता है। वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। आज भी वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। वादी एवं उनके अधिवक्ता को कई-कई बार-बार आवाजें लगवाई गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण वाद को आदेश 9 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है।। पठावली कैसल कुमार दोकर नम्बर से कम दोकर दाखिल दफ्तर हो। 2/11/3/2023	